

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

7 MAY 2013

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के क्रम में।

प्रसंग: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र क्रमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहायक कार्यक्रम अधि./2010/पार्ट-1 दिनांक 31.01.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2013


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। विभाग के पत्र दिनांक 15.02.2013 की बिन्दु संख्या 2 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा यदि संविदा कार्मिक के विरुद्ध निकाली गई वसूली, राजकीय राशि के गबन, वित्तीय अनियमितता या आपराधिक कृत्य के आधार पर निर्धारित की गई है तो ऐसे मामलों में कार्मिक को अनुभव प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावे। फिर भी कतिपय जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः इस संबंध में यह और स्पष्ट किया जाता है कि आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा मुख्य रूप से 100 दिन से अधिक रोजगार देने, भौतिक सत्यापन एवं माप पुस्तिका में दर्ज सामग्री की मात्रा में अन्तर होने, वास्तविक व्यय से यू.सी. कम होने, बी.एस.आर. दर से अधिक दर पर सामग्री क्रय करने, स्वीकृति से अधिक व्यय एवं भुगतान करने, अग्रिम पर ब्याज वसूल करने एवं अधिक भुगतान करने के आधार पर वसूली निकाली गई है। इस प्रकार निकाली गई वसूली को वित्तीय अनियमितता एवं गबन की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित कार्मिक से बकाया निकाली गई राशि को वसूल कर अनुभव प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावे।

आन्तरिक अंकेक्षण के वसूली के प्रकरणों का प्रकरणवार परीक्षण किया जावे। यदि बकाया निकाली गई वसूली गम्भीर प्रकृति की है तथा वसूली राशि की मात्रा भी अधिक है, तो ऐसे प्रकरणों में प्रकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निर्णय लिया जावे। जो प्रकरण पूर्ण रूप से गबन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे मामलों में अनुभव प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावे।

भवदीय,




(सी.एस. राजन)

अति. मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।



अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस